

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुखसं/ 4761

दिनांक 07/02/2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.9737 ha. of Forest land in favour of Missing link road, PWD Neemka Thana, Sikar for widening of existing road fromNeemkathana- Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas VillageTeh.- Neemka Thana, Dist.-Sikar(Raj.)

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/145183/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक प. 1(30)वन/2022 दिनांक 08.04.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 477 दिनांक 24.01.2023 से प्राप्त बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अंडरटैकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अंडरटैकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। अंडरटैकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। अंडरटैकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। अंडरटैकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो। अंडरटैकिंग संलग्न है।

.....P.T.O.

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। अंडरटैकिंग संलग्न है।								
8.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।								
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। अंडरटैकिंग संलग्न है।								
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.50 है 0 एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक राशि रु 1,06,572/- (अक्षरे एक लाख छः हजार पांच सौ बहत्तर रुपये मात्र) कैम्पा फण्ड में वेबपोर्टल (OSMFWP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा दि. 07.12.2022 को जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न है।								
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरान्त ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार एन.पी.वी. की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण निम्नानुसार है:- राशि रु 9,32,590/- दिनांक 07.12.2022 कोई-चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति एवं रसीद संलग्न है। <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CA</td> <td>- 10,6,572/-</td> </tr> <tr> <td>NPV</td> <td>- 932592/-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>- 1039162/-</td> </tr> </table>	TOTAL		CA	- 10,6,572/-	NPV	- 932592/-	TOTAL	- 1039162/-
TOTAL										
CA	- 10,6,572/-									
NPV	- 932592/-									
TOTAL	- 1039162/-									
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। अंडरटैकिंग संलग्न है।								

14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट की मूल प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुखसं/
प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान
औद्योगिक योजना

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:- एफ 5() एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/477

दिनांक:- 24/1/23

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.9737 ha. of Forest land in favour of Missing link road, PWD
Neem ka Thana, Sikar for widening of existing road from Neem ka thana-
Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas Village Teh.- Neem ka Thana, Dist.-
Sikar (Raj.) (Proposal No. FF/RJ/ROAD/145183/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1(30)वन/2022 जयपुर, दिनांक 08.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(30)वन/2022 जयपुर, दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की विन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, सीकर ने पत्रांक 14279 दिनांक 28.12.2022 से प्रेषित की है। उक्त पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्तें	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। अण्डरटेकिंग संलग्न है।

अरावली गवन, झालाना सारंस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

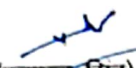
Page 129

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास को वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है। 7
8	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। 21
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालना करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है। 8
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये गये वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि (OSMFWP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.50 है0 एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक राशि रु 1,06,572/- (अक्षरे एक लाख छः हजार पांच सौ बहत्तर रुपये मात्र) कैम्पा फण्ड में वेबपोर्टल (OSMFWP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा दिनांक 07.12.2022 को जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न है। 12
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार एन.पी.वी. की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण निम्नानुसार है:- राशि रु 9,32,590/- दिनांक 07.12.2022 को ई-चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न है। 13
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। अण्डरटेकिंग संलग्न है। 9
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है। 15

14 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी ने हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। " अखबार की प्र संलग्न की।
--	---

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (02 मूल सैट)।

भवदीय,


(मनफूल सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए. / मुवसंज / 2022-23 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

//
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

राजस्थान सरकार कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, def.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/ 14273

दिनांक : 23/12/22

निमित्त:- मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.9737 Ha. of forest land in favour of Missing link road, PWD Neem Ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem ka Thana- Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil- Neem Ka Thana Dist- Sikar.
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/145183/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1 (30)वन/2022 जयपुर
दिनांक 08.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन भूमि प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/145183/2021 में राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (30) वन/2022 जयपुर, दिनांक 08.04.22 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-नीमकाथाना द्वारा पत्रांक 4178 दिनांक 13.12.2022 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अंडरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। अंडरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। अंडरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त

	आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट एवं बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।
09.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.50 हेक्टर एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु राशि रु 1,06,572 कैम्पा फण्ड में वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा दिनांक 07.12.2022 को जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईओए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:- रु. 9,32,590/- दिनांक 07.12.2022 को ई-चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। अंडरटेकिंग संलग्न है।
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। अंडरटेकिंग संलग्न है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक	राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी

24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।
--	--

संलग्न:-उक्तानुसार (03 मूल सेट)

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर

दिनांक :

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-नीमकाथाना को सूचनार्थ प्रेषित है।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर